

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML V)/2021/2197

दिनांक: 27.10.2021

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के खननपट्टें खुली ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क रूपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका के कॉलम 9 के अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लि. को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक:	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 33	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	11.0346	सेण्डस्टोन	40 लाख	3862250	24.11.21	25.11.21	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेक्शर-1
2	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 34	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.6654	सेण्डस्टोन	40 लाख	3733100	24.11.21	25.11.21	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.	एनेक्शर-2
3	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 35	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.4170	सेण्डस्टोन	40 लाख	3645950	25.11.21	26.11.21	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेक्शर-3
4	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 36	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.1223	सेण्डस्टोन	40 लाख	3543050	25.11.21	26.11.21	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.	एनेक्शर-4

5	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 37	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.4482	सेण्डस्टोन	40 लाख	3657150	29.11.21	30.11.21	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-5
6	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 38	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.5995	सेण्डस्टोन	40 लाख	3710000	29.11.21	30.11.21	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-6
7	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 39	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.5377	सेण्डस्टोन	40 लाख	3688300	01.12.21	02.12.21	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-7
8	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 40	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.0691	सेण्डस्टोन	40 लाख	3524500	01.12.21	02.12.21	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-8
9	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास प्लॉट क्रमांक: 41	वन भूमि	पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर	10.8143	सेण्डस्टोन	40 लाख	3785250	02.12.21	03.12.21	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-9
10	खनि अभियन्ता, सोजतसिटी प्लॉट क्रमांक: 32	खातेदारी भूमि	डेण्डा	पाली	पाली	9.2474	ग्रेनाइट	35 लाख	2774400	02.12.21	03.12.21	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-10

(अ) महत्वपूर्ण बिंदु:-

- उक्त वर्णित खनन पट्टों की अवधि संविदा पंजियन दिनांक से 50 वर्ष के लिये होगी।
- आवंटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका अनुसार एनेक्शर 1 से एनेक्शर 10 पर है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत निगमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किशतों में जमा करानी होगी। प्रथम किशत (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई-ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।

- 4 खननपट्टे का आवंटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- 5 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।
- 6 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई-नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई-नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई-नीलामी रद्द की जायेगी। ई-नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-


- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 219) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कार्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/- एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय से पूर्व "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है। अन्यथा वे नीलामी के निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडींग में भाग नहीं ले सकेंगे।
 - 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन-शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
 - 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
 - 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।
 - 9 एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी
 - 10 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत में से बची हुई राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :-
 - (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - (ii) विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाईट पर अपलोड है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावें।
 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति
 - (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
 - (vi) PAN card / TIN की प्रति।
 - (vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/झाईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
 - (viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

- 11 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।
- 12 विज्ञापित के क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित कार्यालय सहायक खनि अभियंता, रूपवास के प्लॉट संख्या 33 से 41 तक की भूमि वन भूमि है। अतः उच्चतम बोलीदाता को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-06-2021 (परिशिष्ट-A इस विज्ञापित के साथ संलग्न है।) की वन प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय अनुमति में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा अनुपातिक जमा की जाने वाली NPV (Net Present Value) एवं CA (Compensatory Afforestation) की राशि एल.ओ.आई. जारी होने के 30 दिवस में Online submission & monitoring of Forest & Wild life Clearance Portal द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा NPV (Net Present Value) एवं CA (Compensatory Afforestation) की राशि खाता संख्या 150856136241528 IFSC Code - CORP0000371 में जमा कराकर कार्यालय सहायक खनि अभियंता, रूपवास में प्रस्तुत करना होगा।
- 13 विज्ञापित के क्र. सं. 10 पर अंकित प्लॉट की भूमि खातेदारी भूमि में होने से संबंधित खातेदार को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार Right of First Refusal के उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। संबंधित खातेदार द्वारा Right of First Refusal के उपयोग में उच्चतम बोली पर प्लॉट लेने की असहमति दी जाती है तत्पश्चात् ही उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
- 14 ई नीलामी प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 10 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित समयावधि में माईनिंग प्लान, ई.सी. परफोरमेंस सिक्यूरिटी आदि जमा कराना होगा।



(कै. बी. पण्डया) IAS
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML V)/2021/ 2198 - 2262

दिनांक: 27.10.2021

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्था करने हेतु :-
अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
स - खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-1/ II/आमेत/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/ दुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।
द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर।


(अनिल खिमेसरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.
Dated: 11th June, 2021

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Rajasthan,
Jaipur

Sub: Diversion of 398.0085 ha of forest land in favour of DMC, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/125714/2021).

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Government of Rajasthan's proposal No. FP/RJ/MIN/125714/2021 uploaded on PARIVESH portal for seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and inform that the said proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act.


After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, *In-principle approval/Stage-I Clearance* of the Central Government is hereby accorded for diversion of 398.0085 ha of forest land in favour of DMC, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan subject to fulfillment of the following conditions:

- i. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;
- ii. Compensatory Afforestation shall be raised over equal area in identified land bank which has been created out of transfer of non-forest land to Forest department in the past, and has been earmarked by the state government for utilizing against Compensatory Afforestation. Since the area identified cannot accommodate plants @1000 plants/ha, therefore the remaining plants will be planted over identified degraded forest land as per the prescriptions of approved working plan, with provisions for 10 years maintenance. The Compensatory Afforestation shall be raised within three years from the date of Stage -II approval and maintained for 10 years thereafter by the State Forest Department at the cost of the User Agency.
- iii. A detailed cluster Mining Plan will be submitted prior to handover of forestland which will incorporate the scope of common green infrastructure for all sub-leases to optimize resources and minimize ecological impact. Necessary details of mining will be given, including total mining leases in the cluster, area and location of each mining lease, the strip around the mining leases to be used as safety zone, entry and exit points of mining lease and transportation of mined material, the area meant for stocking of mined material, the areas for dumping overburden, area left out of mining

Commenced
11/6/2021

operations for reasons of slope, soil and water conservation etc. along with appropriate mitigative measures for the conservation of forest area and wild life.

- iv. The State Government shall ensure that the environment and water management measures to be adopted during mining and mine reclamation as per the approved Mining Plan are undertaken in a timely manner, and included in the Annual Compliance Report;
- v. Since the area is highly refractory and the rainfall is also low, to ensure successful plantation in the safety zone and at other designated places, the plantations in and around the proposed area should be carried out under the supervision of expert institutions, like AFRI, Jodhpur.
- vi. The mining lease period will be coterminous with the provisions contained in sub-section (2) of section 8A of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 i.e. 50 years. In view of the User Agency's submission of expected life span of 21 years, however, the status will be reviewed by the FAC after 20 years to consider remaining availability of sandstone in the proposed forest diversion area and further protective/reclamation measures to be taken.
- vii. In order to address the issue of probable man-animal conflict that may arise in the area due to proximity of Bandh Baretha Wild Life Sanctuary and because the area is semi-arid, suitable Integrated Wild Life Management Plan for the Sanctuary area in 500m width on the periphery of the Sanctuary towards Blocks A and B, including development of the buffer area and establishment of a Wildlife Rescue Centre at a suitable location, shall be prepared and implemented at the cost of User Agency.
- viii.
 - a. The water streams in the diverted forest land shall be protected as per the standard conditions in the Forest (Conservation) guidelines; the State Government shall ensure that soil and moisture conservation activities are undertaken on the banks of these water streams by the User Agency, along with mining operations, to sustain water flow in the streams.
 - b. Small Naalas/anicut in Banshi Pahadpur A and B blocks can be used as garland drains to provide/recharge water into Bandh Baretha Dam. Village pond of Banshi Pahadpur village should be conserved by the User Agency. All natural/man-made existing water bodies shall be conserved and protected by user agency and no hindrance shall be caused to obstruct flow of water in such water bodies.
- ix. As the Banshi Paharpur area has been subjected to open cast mining for several decades and land degradation is a major issue (refer Wastelands Atlas of India 2019 and Desertification Atlas of India 2016) at least 10 per cent of the District Mineral Foundation Trust Fund should be used for Tree Plantation on suitable sites, e.g. road side, around water bodies, etc. in the District (first preference in Banshi Pahadpur area) during the lease period under the supervision of State Forest Department.
- x. User Agency will obtain permission for felling of trees as per applicable court orders/ Forest Act/Rules/Guidelines.
- xi. The District Task Force on illegal mining shall meet at least once in three months and review that adequate action has been taken to prevent illegal mining on lands outside


11/06/2021

the approved mining leases in the Banshi Pahadpur area.

- xii. The state govt. shall re-confirm that the present proposal does not contain any other active mining lease.
- xiii. The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;
- xiv. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
- xv. The land identified for raising compensatory afforestation shall be notified as RF/PF prior to Stage II approval if not already done. A copy of the original notification declaring the said land as RF/PF will be submitted by the state govt. prior to the Stage-II approval.
- xvi. The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in CAMPA account of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;
- xvii. All the funds received from the user agency under the project shall be deposited in CAMPA account through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- xviii. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- xix. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;
- xx. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;
- xxi. No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
- xxii. The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;
- xxiii. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;
- xxiv. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;
- xxv. The user agency will ensure that the tree felling will be done only when it is

[Handwritten Signature]
11/06/2021

File No.8-14/2021_FC

unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;

- xxvi. The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Dy. Director General (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, reclamation activities are satisfactorily executed;
- xxvii. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.
- xxviii. The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly; and
- xxix. The user agency shall comply the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

After receipt of compliance report on fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours sincerely,

(Shrawan Kumar Verma)

Deputy Inspector General of Forests (FC)

Copy to:

1. The Principal CCF(HoFF), Government of Rajasthan, Jaipur;
2. The DDC (Central), Integrated Regional Office, Rajasthan;
3. The Nodal Officer, O/o the PCCF, Government of Rajasthan, Jaipur;
4. User Agency;
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi.

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण		
1.	प्लॉट क्रमांक	33	
2.	खनिज	सैण्डस्टोन	
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता हैं	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास	
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर	
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	11.0346 हैक्टेयर	
6.	स्थिर भाटक	रूपये 772450/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01	
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude) देशान्तर (Longitude)
		A	26°56'10.8198" 77°29'56.9819"
		B	26°56'23.9390" 77°29'54.4398"
		C	26°56'26.1808" 77°30'04.5682"
		D	26°56'24.2502" 77°30'05.5212"
		E	26°56'23.5400" 77°30'03.8116"
		F	26°56'20.4754" 77°30'05.3963"
		G	26°56'21.1583" 77°30'07.0402"
		H	26°56'19.9702" 77°30'07.6267"
		I	26°56'16.4630" 77°30'07.6858"
		J	26°56'16.1756" 77°30'05.0235"
		K	26°56'14.5567" 77°30'05.6762"
		L	26°56'12.2248" 77°30'01.4907"
		M	26°56'12.8331" 77°29'58.0419"

(Signature)

(पिकराव सिंह)
सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण																													
1.	प्लॉट क्रमांक	34																												
2.	खनिज	सैण्डस्टोन																												
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता हैं	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																												
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																												
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.6654 हैक्टेयर																												
6.	स्थिर भाटक	रुपये 746620/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																												
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																												
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°56'24.1992"</td> <td>77°29'54.4777"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°56'33.2564"</td> <td>77°29'52.7199"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°56'32.9176"</td> <td>77°29'50.5469"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°56'40.1788"</td> <td>77°29'49.0841"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26°56'40.9867"</td> <td>77°29'54.0769"</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>26°56'37.0772"</td> <td>77°29'54.9936"</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>26°56'33.0587"</td> <td>77°30'01.3655"</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>26°56'26.4151"</td> <td>77°30'04.4916"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'24.1992"	77°29'54.4777"	B	26°56'33.2564"	77°29'52.7199"	C	26°56'32.9176"	77°29'50.5469"	D	26°56'40.1788"	77°29'49.0841"	E	26°56'40.9867"	77°29'54.0769"	F	26°56'37.0772"	77°29'54.9936"	G	26°56'33.0587"	77°30'01.3655"	H	26°56'26.4151"	77°30'04.4916"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																												
A	26°56'24.1992"	77°29'54.4777"																												
B	26°56'33.2564"	77°29'52.7199"																												
C	26°56'32.9176"	77°29'50.5469"																												
D	26°56'40.1788"	77°29'49.0841"																												
E	26°56'40.9867"	77°29'54.0769"																												
F	26°56'37.0772"	77°29'54.9936"																												
G	26°56'33.0587"	77°30'01.3655"																												
H	26°56'26.4151"	77°30'04.4916"																												

Prasad
18/07/2008

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण																							
1.	प्लॉट क्रमांक	35																						
2.	खनिज	सेण्डस्टोन																						
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																						
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																						
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.4170 हैक्टेयर																						
6.	स्थिर भाटक	रूपये 729190/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार ✓																						
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																						
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°56'31.1307"</td> <td>77°29'39.0859"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°56'37.7199"</td> <td>77°29'33.3687"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°56'42.6523"</td> <td>77°29'40.1968"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°56'39.3947"</td> <td>77°29'44.2387"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26°56'40.1788"</td> <td>77°29'49.0841"</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>26°56'32.9176"</td> <td>77°29'50.5470"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'31.1307"	77°29'39.0859"	B	26°56'37.7199"	77°29'33.3687"	C	26°56'42.6523"	77°29'40.1968"	D	26°56'39.3947"	77°29'44.2387"	E	26°56'40.1788"	77°29'49.0841"	F	26°56'32.9176"	77°29'50.5470"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																						
A	26°56'31.1307"	77°29'39.0859"																						
B	26°56'37.7199"	77°29'33.3687"																						
C	26°56'42.6523"	77°29'40.1968"																						
D	26°56'39.3947"	77°29'44.2387"																						
E	26°56'40.1788"	77°29'49.0841"																						
F	26°56'32.9176"	77°29'50.5470"																						

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण																						
1.	प्लॉट क्रमांक	36																					
2.	खनिज	सैण्डस्टोन																					
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता हैं	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																					
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																					
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.1223 हेक्टेयर																					
6.	स्थिर भाटक	रूपये 708610/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																					
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°56'37.7199"</td> <td>77°29'33.3687"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°56'50.6161"</td> <td>77°29'22.1784"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°56'54.7945"</td> <td>77°29'27.9626"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°56'48.0515"</td> <td>77°29'33.8136"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26°56'43.7264"</td> <td>77°29'36.1539"</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>26°56'42.6716"</td> <td>77°29'40.2234"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'37.7199"	77°29'33.3687"	B	26°56'50.6161"	77°29'22.1784"	C	26°56'54.7945"	77°29'27.9626"	D	26°56'48.0515"	77°29'33.8136"	E	26°56'43.7264"	77°29'36.1539"	F	26°56'42.6716"	77°29'40.2234"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
A	26°56'37.7199"	77°29'33.3687"																					
B	26°56'50.6161"	77°29'22.1784"																					
C	26°56'54.7945"	77°29'27.9626"																					
D	26°56'48.0515"	77°29'33.8136"																					
E	26°56'43.7264"	77°29'36.1539"																					
F	26°56'42.6716"	77°29'40.2234"																					

(Signature)
सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण																																						
1.	प्लॉट क्रमांक	37																																					
2.	खनिज	सैण्डस्टोन																																					
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																																					
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																																					
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.4482 हैक्टेयर																																					
6.	स्थिर भाटक	रुपये 731430/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																					
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																																					
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°56'54.7945"</td> <td>77°29'22.9626"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°57'00.9091"</td> <td>77°29'36.4276"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°56'58.8301"</td> <td>77°29'37.4541"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°56'58.4053"</td> <td>77°29'38.7471"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26°56'52.4040"</td> <td>77°29'42.4391"</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>26°56'49.2884"</td> <td>77°29'43.6954"</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>26°56'44.7609"</td> <td>77°29'43.2255"</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>26°56'46.1003"</td> <td>77°29'38.3770"</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>26°56'50.4896"</td> <td>77°29'39.7013"</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>26°56'50.5319"</td> <td>77°29'37.3099"</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>26°56'48.0513"</td> <td>77°29'33.8138"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'54.7945"	77°29'22.9626"	B	26°57'00.9091"	77°29'36.4276"	C	26°56'58.8301"	77°29'37.4541"	D	26°56'58.4053"	77°29'38.7471"	E	26°56'52.4040"	77°29'42.4391"	F	26°56'49.2884"	77°29'43.6954"	G	26°56'44.7609"	77°29'43.2255"	H	26°56'46.1003"	77°29'38.3770"	I	26°56'50.4896"	77°29'39.7013"	J	26°56'50.5319"	77°29'37.3099"	K	26°56'48.0513"	77°29'33.8138"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																					
A	26°56'54.7945"	77°29'22.9626"																																					
B	26°57'00.9091"	77°29'36.4276"																																					
C	26°56'58.8301"	77°29'37.4541"																																					
D	26°56'58.4053"	77°29'38.7471"																																					
E	26°56'52.4040"	77°29'42.4391"																																					
F	26°56'49.2884"	77°29'43.6954"																																					
G	26°56'44.7609"	77°29'43.2255"																																					
H	26°56'46.1003"	77°29'38.3770"																																					
I	26°56'50.4896"	77°29'39.7013"																																					
J	26°56'50.5319"	77°29'37.3099"																																					
K	26°56'48.0513"	77°29'33.8138"																																					

Prasad
18/10/2020

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण																	
1.	प्लॉट क्रमांक	38																
2.	खनिज	सैण्डस्टोन																
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.5995 हेक्टेयर																
6.	स्थिर भाटक	रूपये 742000/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°56'50.6161"</td> <td>77°29'22.1784"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°56'55.2310"</td> <td>77°29'18.1738"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°57'07.4533"</td> <td>77°29'32.3606"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°57'00.9091"</td> <td>77°29'36.4276"</td> </tr> </tbody> </table>		सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'50.6161"	77°29'22.1784"	B	26°56'55.2310"	77°29'18.1738"	C	26°57'07.4533"	77°29'32.3606"	D	26°57'00.9091"	77°29'36.4276"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																
A	26°56'50.6161"	77°29'22.1784"																
B	26°56'55.2310"	77°29'18.1738"																
C	26°57'07.4533"	77°29'32.3606"																
D	26°57'00.9091"	77°29'36.4276"																

(Signature)
10/10/2021

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.		विवरण																		
क्रम संख्या		विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक	39																		
2.	खनिज	सैण्डस्टोन																		
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.5377 हैक्टेयर																		
6.	स्थिर भाटक	रूपये 737660/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																		
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°56'55.2310"</td> <td>77°29'18.1738"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°56'57.7948"</td> <td>77°29'15.9490"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°57'17.3188"</td> <td>77°29'29.3672"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°57'10.1422"</td> <td>77°29'30.9050"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26°57'07.4529"</td> <td>77°29'32.3602"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°56'55.2310"	77°29'18.1738"	B	26°56'57.7948"	77°29'15.9490"	C	26°57'17.3188"	77°29'29.3672"	D	26°57'10.1422"	77°29'30.9050"	E	26°57'07.4529"	77°29'32.3602"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																		
A	26°56'55.2310"	77°29'18.1738"																		
B	26°56'57.7948"	77°29'15.9490"																		
C	26°57'17.3188"	77°29'29.3672"																		
D	26°57'10.1422"	77°29'30.9050"																		
E	26°57'07.4529"	77°29'32.3602"																		

(Signature)
18/10/2007

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण																												
क्रम संख्या	विवरण																												
1.	प्लॉट क्रमांक	40																											
2.	खनिज	सैण्डस्टोन																											
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																											
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																											
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.0691 हैक्टेयर																											
6.	स्थिर भाटक	रूपये 704900/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																											
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																											
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>26°57'09.8197"</td> <td>77°29'13.3121"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>26°57'22.6398"</td> <td>77°29'20.8372"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26°57'28.4149"</td> <td>77°29'34.4277"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26°57'21.7992"</td> <td>77°29'36.3878"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>26°57'19.1197"</td> <td>77°29'30.9705"</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>26°57'22.9990"</td> <td>77°29'33.2369"</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>26°57'23.7790"</td> <td>77°29'32.4289"</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>26°57'10.2140"</td> <td>77°29'14.3064"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°57'09.8197"	77°29'13.3121"	B	26°57'22.6398"	77°29'20.8372"	C	26°57'28.4149"	77°29'34.4277"	D	26°57'21.7992"	77°29'36.3878"	E	26°57'19.1197"	77°29'30.9705"	F	26°57'22.9990"	77°29'33.2369"	G	26°57'23.7790"	77°29'32.4289"	H	26°57'10.2140"	77°29'14.3064"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																											
A	26°57'09.8197"	77°29'13.3121"																											
B	26°57'22.6398"	77°29'20.8372"																											
C	26°57'28.4149"	77°29'34.4277"																											
D	26°57'21.7992"	77°29'36.3878"																											
E	26°57'19.1197"	77°29'30.9705"																											
F	26°57'22.9990"	77°29'33.2369"																											
G	26°57'23.7790"	77°29'32.4289"																											
H	26°57'10.2140"	77°29'14.3064"																											

(Signature)
18/10/2020

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग, रूपवास(भरतपुर)

क्र.सं.	विवरण																																								
1.	प्लॉट क्रमांक	41																																							
2.	खनिज	सैंडस्टोन																																							
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास																																							
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	नि0 ग्राम -पहाडपुर, तहसील - रूपवास जिला भरतपुर																																							
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	10.8143 हैक्टेयर																																							
6.	स्थिर भाटक	रूपये 757050/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																							
7.	भूमि का प्रकार	गैर मुमकिन पहाड मकबुजा महकमा जंगलात(वन भूमि), खसरा न0 01																																							
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26°57'28.4149"</td><td>77°29'34.4276"</td></tr> <tr><td>B</td><td>26°57'30.0987"</td><td>77°29'38.3902"</td></tr> <tr><td>C</td><td>26°57'31.1983"</td><td>77°29'44.2802"</td></tr> <tr><td>D</td><td>26°57'19.4676"</td><td>77°29'45.9188"</td></tr> <tr><td>E</td><td>26°57'18.5435"</td><td>77°29'47.3646"</td></tr> <tr><td>F</td><td>26°57'13.6245"</td><td>77°29'46.0097"</td></tr> <tr><td>G</td><td>26°57'13.4191"</td><td>77°29'50.0260"</td></tr> <tr><td>H</td><td>26°57'10.1789"</td><td>77°29'50.2737"</td></tr> <tr><td>I</td><td>26°57'10.2464"</td><td>77°29'46.4599"</td></tr> <tr><td>J</td><td>26°57'12.9519"</td><td>77°29'44.4336"</td></tr> <tr><td>K</td><td>26°57'22.3169"</td><td>77°29'41.8535"</td></tr> <tr><td>L</td><td>26°57'20.3230"</td><td>77°29'36.8251"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	A	26°57'28.4149"	77°29'34.4276"	B	26°57'30.0987"	77°29'38.3902"	C	26°57'31.1983"	77°29'44.2802"	D	26°57'19.4676"	77°29'45.9188"	E	26°57'18.5435"	77°29'47.3646"	F	26°57'13.6245"	77°29'46.0097"	G	26°57'13.4191"	77°29'50.0260"	H	26°57'10.1789"	77°29'50.2737"	I	26°57'10.2464"	77°29'46.4599"	J	26°57'12.9519"	77°29'44.4336"	K	26°57'22.3169"	77°29'41.8535"	L	26°57'20.3230"	77°29'36.8251"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																																							
A	26°57'28.4149"	77°29'34.4276"																																							
B	26°57'30.0987"	77°29'38.3902"																																							
C	26°57'31.1983"	77°29'44.2802"																																							
D	26°57'19.4676"	77°29'45.9188"																																							
E	26°57'18.5435"	77°29'47.3646"																																							
F	26°57'13.6245"	77°29'46.0097"																																							
G	26°57'13.4191"	77°29'50.0260"																																							
H	26°57'10.1789"	77°29'50.2737"																																							
I	26°57'10.2464"	77°29'46.4599"																																							
J	26°57'12.9519"	77°29'44.4336"																																							
K	26°57'22.3169"	77°29'41.8535"																																							
L	26°57'20.3230"	77°29'36.8251"																																							

सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रम सं.	विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	32		
2.	खनिज	ग्रेनाईट		
3.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है।	कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली		
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	डेण्डा, पाली, पाली		
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	9.2474 हैक्टर		
6.	स्थिरभाटक	रु 5,54,880/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	भूमि का प्रकार	मैसर्स सतगुरु ग्रेनाईट प्रा. लि. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1025, 1026, 1027(किस्म गैर मु. तेड), 1029, 1029/1 व 1029/2 (किस्म बारानी अब्बल)		
8.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
		A	25° 38' 49.0953"	73° 15' 39.1850"
		B	25° 38' 54.1423"	73° 15' 42.1336"
		C	25° 38' 57.3858"	73° 15' 42.5162"
		D	25° 38' 51.9151"	73° 15' 57.7283"
		E	25° 38' 47.4907"	73° 15' 55.9450"
		F	25° 38' 47.5943"	73° 15' 54.5874"
		G	25° 38' 48.5792"	73° 15' 54.2195"
		H	25° 38' 47.7033"	73° 15' 53.1584"
		I	25° 38' 48.2206"	73° 15' 46.3780"

(स्वरूपसिंह गहलोत)
खनि अभियंता
सोजतसिटी